(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 747-एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-11-2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 27/2003-04/अपील ।

श्रीमती समरीबाई पति रामलालजी गायरी
निवासी ग्राम सुवाखेडा तहसील जावद
जिला नीमच म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1-मध्यप्रदेश शासन
2-गोपाल पिता नंदाजी नायक मृत द्वारा वारिसान
अ-ललिताबाई विधवा गोपाल
ब-महेश पिता गोपाल
स-संगीता पिता गोपाल
समस्त निवासी गांव सुवाखेडा तहसील जावद
जिला नीमच
3-श्रीमती सोहनबाई विधवा नंदाजी
4-श्रीमती कमलाबाई पति प्रभुलालजी नायक
समस्त निवासीयान सुवाखेडा तहसील जावद
जिला नीमच

.....अनावेदकगण

श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक-आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय में अनावेदकपक्ष द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सुवाखेडी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 2449/2 रकबा 0.678 हेक्टेयर का पटटा अनावेदक के पिता एवं सोहन बाई के पति नन्दा के नाम पर हुआ था, किन्तु वर्ष 1985-86 में कमलाबाई व उसके पश्चात् 1994-95 में समरीबाई के नाम लिख दिया गया । उनके पति नन्दा पिता मोडा द्वारा भूमि विक्रय नहीं किया जाकर 5000/- रहन रखी गई थी । अतः संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत इंद्राज दुरूस्ती की जाकर शासकीय अभिलेखों में से कमलाबाई पति रामलाल नायक का नाम कम कर आवेदकगण गोपाल एवं सोहनबाई का नाम दर्ज किया जाये। तहसील जावद द्वारा जॉच में पाया गया कि नन्दा पिता मोडा द्वारा उक्त भूमि कमलाबाई को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेची गई । इसके पश्चात् कमलाबाई द्वारा उक्त भूमि समरीबाई को बेची गई । अतः तहसीलदार जावद ने अपने आदेश दिनांक 26-6-2003 द्वारा संहिता की धारा 165(7) के उल्लंघन एवं धारा 115, 116 के तहत अशुद्ध इंद्राज न पाये जाने से आवेदन निरस्त कर दिया गया साथ ही नन्दा पितामोडा द्वारा कमलाबाई को तथा कमलाबाई द्वारा समरी बाई को किया गया विक्रय अवैध मानते हुये दोनों विक्रय पत्र निरस्त करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को अनुशंसा की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके आदेश दिनांक 14-4-2003 द्वारा धारा 165(7) का उल्लघंन होना मानते हुये प्रकरण कलेक्टर जिला नीमच को भेजा गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक

30-9-03 को आदेश पारित कर विक्रय पत्र शून्य घोषित करते हुये प्रश्नाधीन भूमि शासकीय मद में अंकित करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-11-05 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई ।अपर आयुक्तके इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक से आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किये जाने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण किया गया तथा ऐसे नामान्तरण को संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत दिनांक 17-1-2003 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर इंद्रांज को दुरूस्त कराया जा सकता है । इस बिन्दु पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि विवादित भूमि अनावेदक के अनुसार वर्ष 1977 में पटटे के माध्यम से प्राप्त हुई जबकि संहिता की धारा 165(7)(ख) के प्रावधान वर्ष 1980 में जोडे गये है तो ऐसी स्थिति में 1977 में दिये गये पटटे पर 1980 के प्रावधान लागू किये जा सकते है । यह विधिक बिन्दु पर वैधानिक रूप से विचार किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि यदि शासकीय पट्टे का उल्लंघन न माना जावे तो ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 182 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है न कि विक्रय पत्रों को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नकल खसरा वर्ष 1984-85 के अवलोकन

से स्पष्ट है कि नंदापिता मोडा का नाम शासकीय पट्टेदार की हैसियत से दर्ज है इसलिये नन्दा को भूमि के विक्रय का अधिकार नहीं था अत: विक्रय पत्र 20-12-1984 व दिनांक 31-1-1986 द्वारा भूमि का अंतरण अवैध है । शासकीय पट्टेदार द्वारा भूमि का अन्तरण बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और इस तरह के अन्तरण होने में पट्टे की शर्तो का उल्लंघन होता है इसलिये कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और कलेक्टर के विधि अनुकूल आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर